

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
PD, लोक निर्माण विभाग , MIRZAPUR

प्रमाणपत्र क्रमांक : UPPWD/2022-2023/10010240 दिनांक:-05/08/2022

सेवा में,

RAMKY BABA

Abhaw Khand UP Bhatua Ghandighat, Nakhara Road Mirzapur, MIRZAPUR, 231001

विषय:- लुम्बिनी दुद्धी मार्ग पर Water Pipeline डालने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आवेदन क्रमांक:-PWD10010240

महोदय,

क्र० सं०	मार्ग का नाम	कटिंग की जाने वाली मार्ग की चैनैज/स्थल का विवरण	कटिंग की जाने वाली सतह का प्रकार	मात्रा	यूनिट
1	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग	Kaccha Part	331.45-331.55	15	M ²
2	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग	Interlocking Tiles	0.0000-0.0000	0	M ²
3	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग	SDBC	0.0000-0.0000	0	M ²
4	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग	BC	331.45-331.55	10.5	M ²
5	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग	Mastic Concrete	0.0000-0.0000	0	M ²

शर्त :-

- कटिंग का कार्य मार्ग के मध्य भाग से कम से कम 13.00 मी० की दूरी अथवा कच्चे भाग में मार्ग की सतह से 1.50 मी० की गहराई पर ही डाली जायेगी। इससे अधिक कार्य कटापि नहीं कराया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित सहायक अभियन्ता को लिखित सूचना देनी होगी एवं उक्त कार्य की ड्राईंग एवं सेक्शन तथा गहराई की जानकारी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को देनी होगी। रोड कटिंग का मलबा लेपित मार्ग पर एकत्रित न करके, कार्य इस प्रकार कराया जाये कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।
- सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय, जैसे बैरिकेडिंग, झन्डी, लालटेन आदि की व्यवस्था आप स्वयं करेंगे।
- यातायात के सुगम संचालन हेतु ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित कर कार्य कराना होगा कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- मार्ग के जंक्शन आदि पर यदि किसी अन्य विभाग / संस्था की भूमि पड़ती है तो उसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग से अलग से लेनी होगी।
- इस मार्ग पर अन्य विभागों की केबिल / पाइप लाइन आदि बिछी हो सकती हैं। कार्य इस प्रकार कराया जाये कि उन्हें कोई क्षति न पहुंचे। उन विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त करने एवं किसी प्रकार की क्षति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- वाटर, सीवर, गैस एवं बिजली आदि की लाईन पड़ने पर उसे कोई क्षति न पहुंचे। उन विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त करने एवं क्षति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- यदि भविष्य में मार्ग का चौड़ाकरण / सुरक्षाकरण के कार्य में यदि पाइप लाइन / केबिल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा एवं पाइप लाइन / केबिल को स्वयं के खर्च पर स्थानान्तरित करायेगा।
- कार्य इस खण्ड के सहायक अभियन्ता की देख-रेख में इस प्रकार सम्पन्न कराया जाये जिससे लोक निर्माण विभाग के मार्ग को किसी प्रकार की क्षति न हो, अन्यथा की स्थिति में सभी प्रकार की क्षति की भरपाई आपसे की जायेगी।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आई०जी०एल० अथवा नेचुरल गैस विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी कि निर्माण कार्य करते समय आई०जी०एल० अथवा नेचुरल गैस की पाइप लाइन को किसी प्रकार की क्षति न हो। यदि आई०जी०एल० की पाइप लाइन को किसी प्रकार की क्षति होती है तो भारत का राजपत्र में वर्णित The petroleum and natural gas regulatory board act 2006 Dt. 31-05-06 में वर्णित किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। मार्ग पर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन अथवा किसी अन्य विभाग की लाईन अगर हों तो उनसे एन०ओ०सी० प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य सम्पादित कराया जाये।
- उपरोक्त कार्य को करने हेतु यह अनुमति अधिकतम तीन माह (अनुमति जारी होने की तिथि से) के लिए मान्य होगी। यदि किसी कारणवश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं कराया जाता है तो उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से अलग से निर्गत की जायेगी।
- आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र के अधीन कार्य करने पर वन विभाग से अपने स्तर से एन०ओ०सी० प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना होगा।
- यह अनुमति मात्र आवेदन में अंकित मार्ग के चैनैज के लिए ही मान्य होगी।
- उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने की सूचना/प्रमाण पत्र आप चरण बार अधोहस्ताक्षरी को देंगे जिससे इसकी मरम्मत का कार्य चरण बार ही किया जा सके। अगर विभाग द्वारा मरम्मत करने के पश्चात आप द्वारा मार्ग पर पुनः कार्य किया जाता है तो उसकी अनुमति अलग से लेनी होगी।
- एन०ओ०सी० जारी होने के उपरांत 7 दिन के भीतर कार्य प्रारम्भ करना तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित अवधि से लोक निर्माण विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।



Digitally Signed By
(SUNIL DUTT)

F7BB3028986384EF73A344E6DE3983C03C02DFBD

Date: 05/08/2022 11:41:32 AM, Location: MIRZAPUR.

अधिशासी अभियन्ता,
PD, लोक निर्माण विभाग, MIRZAPUR

Sandeep Singh
अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम
मीरजापुर